

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नंबर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
	<p>दिल्ली सिविल में प्रकरण को अनावश्यक रूप से लपेटा रखा एवं दुर्गा देवी व अन्य में प्रकरण में सुनार के रूप में सूचित किए जाने का कोई औचित्य प्रतीत नहीं होता है। निष्कर्षित: दुर्गा देवी व अन्य से और से प्रस्ताव शा.पत्र अर्ध 01 खर 10(2) रपठिा द्वारा 151 सीपीसी व अर्ध 22 खर 10 पौषणीम न होने के कारण खारिज किया जाता है एवं वकील वाली तथा हस्तुत शा.पत्र वाकत, नोट प्रेष के कारण वाप निरस्त किए जाने का स्वीकार किया जाता है। फरखरूप वाकपत्र खारिज किया जाता है। पतावसी के लक्ष शुमार डीकर नम्बर से कम है।</p> <p style="text-align: right;">लपखण्ड अधिकारी दौसा (राज०)</p>	